



**कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G2C

पत्रांक—1857 /12-1 देहरादून:दिनांक: २६ फरवरी, 2024

रोपा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय:—जनपद—पिथौरागढ़ में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—418/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में रिनलेख से बुगली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.20 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/144566/2021)

रान्दर्भ :—आपकी पत्र रान्दर्भ—1904/12-1(2) दिनांक 03.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विपर्याक्ति प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेपित किया गया है। प्रस्ताव के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :—

- प्रस्ताव में संलग्न राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी के प्रमाण—पत्र में आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी अंकित नहीं की गयी है।
- प्रस्ताव में एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रचलित दरों के अनुसार आंकलन कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र Form-I एवं Form-II दोनों संलग्न किये गये हैं, जिससे विरोधाभाष उत्पन्न हो रहा है। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या—FC-11/43/2021-FC दिनांक 16. 01.2023 में निम्न विन्दुओं का उल्लेख किया गया है :—

- In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.
- The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मलवा निस्तारण स्थल के सम्बन्ध में प्रकरण पर निम्नलिखित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :—

- मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यो हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।
- मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।

3. डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटि के लिये उपयोग में लाया जायेगा।
4. मलवा निरतारण हेतु प्रस्तावित रथल के स्लोप को बैंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त रथल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।
5. पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।
6. मलवा निरतारण रथल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फार्स्फोरस प्रदान करते हैं।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निरतारण रथल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य रथलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निरतारण हेतु अपनाया जा सके।
8. वैकल्पिक/ऑचित्य— प्रयोक्ता एजेंसी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (केएमएल फाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डम्पिंग जोन के लिए उचित ऑचित्य/टिप्पणियाँ देगी।
9. प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्तावित सड़क की आवश्यकता का ऑचित्य प्रस्तुत करें।
10. केएमएल फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिह्नित किया जाए। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित किया जाए।
11. बार चार्ट के अवलोकन से प्रदर्शित हो रहा है कि बार चार्ट में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए लगभग एक ही रंग का उपयोग किया गया है। वन भूमि और गैर-वन भूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग रंगों का उपयोग करके बार चार्ट अपलोड किया जाए।
12. प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न)
13. प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या—FC-11/118/2021-FC दिनांक 25-01-2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को परिवेश पोर्टल 2.0 में FCA, 2023 Guideline के अनुसार संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियाँ पाई गयी हैं समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का का उत्तर Parivesh Portal पर पार्ट-। एवं पार्ट-॥ में यथास्थान संशोधन करने के उपरान्त पार्ट-। एवं पार्ट-॥ के अतिरिक्त सूचना (Additional Information) में प्रश्न—उत्तरवार/बिन्दुवार आख्या अपनी पूर्ण संस्तुति के साथ अपलोड करते हुये प्रकरण इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या /८५७ /१२-१ तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि :—प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण करवाते हुये बिन्दुवार सूचना अपनी संस्तुति के साथ सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रतिलिपि :—अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग (पिथौरागढ़) को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।